न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 120/2006/223 आर टी ए

दलूराम पुत्र उदाराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

1. निर्मलादेवी पत्नि राधाकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. हरिदत्त पुत्र राधाकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. दिवाकर पुत्र राधाकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. जगतपाल पुत्र अर्जन जाति ब्राहम्ण निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. दूर्गादत्त पुत्र अर्जन जाति ब्राहम्ण निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6. मु0 केसर बेवा दूलीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
7. शंकरलाल पुत्र दूलीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

––असल रेस्पो0

8. रणजीत पुत्र उदाराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
9. देवीलाल पुत्र उदाराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
10. रामकुमार पुत्र उदाराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
11. शंकरलाल पुत्र उदाराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
12. मीरां बेवा उदाराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
13. मनीराम पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

–––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 19.08.06 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर

प्र0सं0 55/2006 अनवानी राधाकृष्ण बनाम सरकार आदि

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 7

निर्णय दिनांकः–12.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट एवं सपठित धारा 88 आरटीए पेश किया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य एवं सबूत के तथा बिना

जवाबदेही का मौका दिये अपीलाधीन निर्णय के जरिये वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय कतई विधि के विपरीत बिना किसी जवाबदेही/साक्ष्य एवं दस्तावेजो पेश किये जाने का मौका दिये पारित किया गया है। लेखू वल्द बींझा के पास सम्वत 2029–2038 के खाता सं. 59 के खसरा नं. 114 की 11.15 बीघा व खसरा नं. 120 की 40.10 बीघा कुल 52.09 बीघा व एक अन्य खाता सं. 64 की खसरा नं. 22 की 54.09 बीघा भूमि है जो रोही मौजा नगरासरी मे स्थित है। रेस्पो0 ने प्रतिवादी अपीलांट के नाम उक्त खातो की कृषि भूमि स्वयं अर्जित कृषि भूमि है। रेस्पो0 ने अपीलाधीन वाद मे खसरा नं. एवं खाता सं. एवं भूमि का हैक्टेयर कतई गलत दर्ज किया है। वाद भूमि 4 बीघा 17 बिस्वा कौनसे साबिका खसरा की थी तथा किन खसरा नम्बर मे परिवर्तित हुई है मिलान क्षेत्रफल प्रदर्शित नही करवाया गया और ना ही भूमि का नक्शा नये नक्शे का पुराने नक्शा मे सुपर कम्पोज किया। रेस्पो0 का वाद भूमि पर कब्जा नही रहा है। सम्वत 2012 मे कब्जे के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये गये थे। वादी रेस्पो0 का वाद भूमि पर कब्जे संबंधी कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नही है और ना ही वाद भूमि पर को कभी खातेदारी अधिकार मिले है। यहां तक की स्वयं की भूमि गैर खातेदारी है। इसलिए सम्वत 2012 मे वादी का कब्जा हो ऐसा कोई सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नही था और ना ही वादी ने भूमि के आसे पासे दर्ज किये है तथा इन सबके समर्थन मे एक भी गवाहान यानि स्वयं के भी ब्यान नही करवाये। ऐसी स्थिति मे वादी के पक्ष मे विचारण न्यायालय ने गलत एवं विधि के विपरीत न्यायिक अवहेलना मे अपीलाधीन निर्णय किया है जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 के दादा व पिता अर्जन वल्द तेजाराम जाति ब्राहम्ण की सम्वत 2011–2014 मे रोही मौजा नगरासरी के साबिका खसरा नं. 46 की 34.14 बीघा व खसरा नं. 39 की 10 बीघा व खसरा नं. 24 की 35.02 बीघा गै.मु. 7 बिस्वा कुल 80.08 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज थी। भूप्रबन्धक विभाग ने सम्वत 2029 से 2038 सैटलमेंट मे उक्त भूमि मे से मिसल बन्दोबस्त के खाता सं. 46 राधाकृष्ण वल्द अर्जनराम हाल खसरा नं. 100 की 8.13 बीघा, खसरा नं. 89/216 की 1.07 बीघा व खाता सं. 48 राधाकिशन व दुलीचंद, जगमाल व दुर्गादत्त पि0 अर्जन देह के नाम खसरा नं. 113 की 30.12 बीघा व खसरा नं. 125 की 10 बिस्वा, खसरा नं. 140 की 34.02 बीघा कुल 65.04 बीघा इस प्रकार 80.08 बीघा के बजाय 75.04 बीघा भूमि की दर्ज की गई। शेष 4.17 बीघा भूमि बन्दोबस्त विभाग ने रेस्पो0 के नाम कम दर्ज की गई तथा उक्त खातेदारी भूमि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 उदाराम के नाम दर्ज कर दी गई। इसलिए रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त गलत अंकन दुरूस्त करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर तहसीलदार प्रतिवेदन के अनुसार वाद डिक्री किया गया है। जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि प्रकरण के संबंध मे तहसीलदार से मुताबिक रिकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार जांच रिपोर्ट चाही गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण के पास रोही नगरासरी के साबित खसरा नं. 46 की 34.14 बीघा व खसरा नं. 39 की 10 बीघा व खसरा नं. 24 की 35.02 बीघा गै.मु.

7 बिस्वा कुल 80.00 बीघा भूमि सम्वत 2012 मे गैर खातेदारी थी। वक्त पैमाईश बन्दोबस्त विभाग ने प्रार्थीगण के नाम 75.04 बीघा भूमि ही दर्ज की गई शेष 4.12 बीघा भूमि अन्य काश्तकारो के नाम दर्ज कर दी गई। प्रार्थी दुरूस्त करवाये जाने के अधिकारी है तथा उक्त 4.12 भूमि प्रार्थी के खाते मे दर्ज किये जाने की अभिशंष की जाती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक प्रतिवेदन तहसीलदार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये निर्णय पारित किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित होने के कारण अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.08.2006 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ